न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी श्री पुनीत कुमार गेलडा (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या 38 / 2023
दायर दिनांक 20 / 06 / 2023
निर्णय दिनांक 27 / 11 / 2024

उनवान

1. फखरूददीन पिता फिदा हुसैन जी फौत के बजाय –
   1. 1 तैयब अली पिता फखरूददीन बोहरा निवासी भीण्डर तहसील भीण्डर
2. सैफूददीन पिता सजाद हुसैन बोहरा निवासी भीण्डर तहसील भीण्डर
3. सैफूददीन पिता सादक अली बोहरा निवासी भीण्डर
4. सकिना पुत्री सादक अली बोहरा निवासी भीण्डर
5. शब्बीर पिता सैफुद्धीन बोहरा निवासी भीण्डर
6. फखरूद्धीन पिता सैफुद्धीन बोहरा निवासी भीण्डर
7. नुरूद्धीन पिता सैफुद्धीन बोहरा निवासी भीण्डर
8. साकिराबाई पुत्री सैफुद्धीन बोहरा निवासी भीण्डर
9. कुलसुम बाई पुत्री सैफुद्धीन बोहरा निवासी भीण्डर
10. हबीबा बाई पुत्री सैफुद्धीन बोहरा निवासी भीण्डर
11. मेमना पुत्री सन्दर अली जी फौत

प्रार्थीगण

बनाम

1. मोहन लाल पिता शोभालाल सुथार निवासी रूण्डेडा तहसील वल्लभनगर
2. रामचंद्र पिता हिरालाल सुथार निवासी रूण्डेडा तहसील वल्लभनगर
3. इंदरमल पिता हिरालाल सुथार निवासी रूण्डेडा तहसील वल्लभनगर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

: निर्णय :

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी की जाने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया। अप्रार्थीगण बाद सूचना उपस्थित नहीं आने से इनके विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा की जाती है। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार प्रार्थीगण रेकार्डेड खातेदार है। अतः प्रार्थना पत्र व रेकार्ड के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी का स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार भूपालसागर को 500/- रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता [illegible] के हल्के बैरूनी के ग्राम चकवी ताणा प0 ह0 ताणा भू0 अभि0 नि0 ताणा तहसील [illegible] प्रार्थीगण के खातेदारी के हाल आराजी न0 117 रकबा 1.08 है0 आ0न0 118 रकबा 1.24 है0 आ0न0 119 रकबा 1.35 है0 आ0न0 120 रकबा 1.43 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 5.10 है0 भूमि में उभयपक्षकारान को जरिये समन नोटिस तलब करवाकर अपने नेतृत्व में सीमांकन [illegible] चारों दिशाओं की पुख्ता पत्थरगढी की कार्यवाही करे। अगर मौके पर कोई विवाद न हो अथवा [illegible] फसल खडी न हो तो ही पत्थरगढी की जावे एवं कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट पेश करे। कमिश्नर फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करे साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं हो। इस आशय बाबत तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Punit Kumar Gelra
Date: 2025.03.19 18:17:42 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

निर्णय आज दिनांक 27.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनवाया गया।

(पुनीत कुमार गेलडा)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

Signature Not Verified

Digitally signed by Punit Kumar Gelra
Date: 2025.03.19 18:17:42 IST
Reason: SelfAttested